(3)

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–22/2009–10

रमेश कुमार वगैरह बनाम ललितेश्वर प्रसाद सिंह वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

02/06/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2008–09 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा पारित दिनांक 07.04.2009 को पारित के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण :–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
दानापुर	सगुना	23	136	123	8 कठ्ठा

इस वाद में विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 23.09.2014 को लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् बहस हेतु विपक्षीगण के द्वारा बार–बार समय की मांग की जाती रही। अंततः दिनांक 21.04.2018 को यह आदेश पारित किया गया कि विपक्षी अगली तिथि पर उपस्थित होकर बहस नहीं करते हैं तो एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा। विपक्षी आज अनुपस्थित है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदकगण का कहना है कि :–

(1) प्रश्नगत खाता सं0 136, खेसरा सं0 123, रकबा 12 कठ्ठा आवेदकगण के पूर्वज मोती भगत की खरीदगी भूमि है। मोती भगत के एकमात्र पुत्र लखीचन्द भगत हुए तथा उनके एकमात्र पुत्र दीपन भगत हुए। दीपन भगत को छः पुत्रियाँ एवं चार पुत्र हुए।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड मौरूसी सम्पति है, जिसमें दीपन भगत का मात्र $\frac{1}{12}$ हिस्सा होता है। दीपन भगत सम्पूर्ण 12 कठ्ठा भूखण्ड पर दावा नहीं कर सकते।

(3) विपक्षीगण के द्वारा दीपन भगा को अगवा कर उनसे जबरदस्ती दिनांक 29.03.2008 को उक्त 12 कठ्ठे मे से 8 कठ्ठा भूखण्ड का केवाला करवा लिया गया।

(4) आवेदकगण रमेश कुमार एवं उनकी माता सुदमिया देवी के द्वारा दिनांक 29.03.2008 को केवाला को रद्द करने हेतु सब जज–1 दानापुर के न्यायालय में टाईटिल सूट सं0 81/2008 दायर किया गया।

(5) विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 29.03.2008 के केवाला के आधार

पर अंचलाधिकारी, दानापुर को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। आवेदकगण के द्वारा उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध आपति की गयी, परन्तु अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 03/2008–09 के अन्तर्गत विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(6) अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2008–09 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों पर ध्यान दिए बिना अपील खारिज कर दी गयी।

(7) आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील सं0 21/2008–09 में दिनांक 07.04.2009 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के प्रतिउतर के अनुसार :–

(1) यह रिवीजन वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 03/2008–09 के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गयी। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा विपक्षीगण के दखल का प्रतिवेदन दिया गया। तत्पश्चात् उभय पक्ष को सुनने के बाद अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिनांक 20.09.2008 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(3) अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 21/08–09 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद अपील अस्वीकृत कर दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर का आदेश पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड मोती भगत की थी, जिनके मृत्यु के पश्चात लखीचन्द्र भगत उस पर दखलकार हुए तथा लखीचन्द्र भगत की मृत्यु के उपरान्त दीपन भगत प्रश्नगत भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आये।

(5) वर्ष 1995 एवं 2005 में दीपन भगत के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के बेचने हेतु विपक्षीगण के साथ एकरारनामा किया गया। उक्त एकरारनामा पर इस वाद के आवेदकगण का भी गवाह के रूप में हस्ताक्षर है।

(6) दीपन भगत के द्वारा दिनांक 29.03.2008 को प्रश्नगत भूखण्ड का विपक्षीगण के नाम से केवाला कर दखल दिया गया। तत्पश्चात अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दखल–कब्जा के आधार पर विधि सम्मत तरीके से विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(7) अंचलाधिकारी, दानापुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर

का आदेश विधि–सम्मत है। आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

सुनवाई के दौरान दिनांक 07.12.2016 को आवेदकगण के द्वारा स्वत्व वाद सं0 81/2008 में दिनांक 16.01.2015 को पारित आदेश एवं दिनांक 27.01.2015 को पारित डिक्री की सत्यापित प्रति की छाया प्रति दाखिल की गयी।

इस वाद के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है।

(1) अंचल अधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 03/2008–09 के अंतर्गत दिनांक 29.03.2008 के निबंधित केवाला तथा दखल–कब्जा के आधार पर इस वाद के विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(2) अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 21/2008–09 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा माना गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के दखलकार दीपन भगत के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री दिनांक 29.03.2008 के केवाला से इस वाद के विपक्षीगण को बेची गयी, जो विधि सम्मत है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अंचल अधिकारी, दानापुर के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील को खारिज कर दी गयी।

(3) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा दिनांक 29.03.2008 के निबंधित केवाला को रद्द करने हेतु व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 81/2008 दायर किया गया था।

(4) अवर न्यायाधीश तृतीय, व्यवहार न्यायालय, दानापुर के द्वारा स्वत्व वाद सं0 81/2008 में दिनांक 16.01.2015 को आदेश पारित करते हुए, दिनांक 29.03.2008 के केवाला को निरस्त घोषित कर दिया गया है।

चूँकि व्यवहार न्यायालय के द्वारा स्वत्व वाद सं0 81/2008 में दिनांक 16.01.2015 को पारित आदेश के द्वारा दिनांक 29.03.2008 के निबंधित केवाला को निष्क्रिय घोषित किया जा चुका है, अतः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 03/2008–09 के द्वारा दी गयी, दाखिल खारिज की स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

अतः स्वत्व वाद सं0 81/2008 में दिनांक 16.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 03/2008–09 में पारित दिनांक 20.09.2008 का आदेश तथा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21/2008–09 में दिनांक 07.04.2009 को पारित आदेश को निरस्त घोषित किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, दानापुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/6/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/6/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना